06/9/22

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

464/2017

दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई,बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से मूल सूरसिंह का ढाणा पटवार मण्डल आगमा तहसील पचपदरा की खाता खसरा संख्या 1712/878 रकबा 31-14 बीघा व खसरा संख्या 88, रकबा 49-13 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो मूलवाद में साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन पत्रावली के संलग्न उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह कहीं साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न है यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध जाता है। वकील प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया,जिससे स्पष्ट हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना अति आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:01:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा